न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या:— 2017/02 दायर दिनाँक 18.02.2012

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. शेराराम पुत्र हनुमानाराम, उम्र—58साल, 2. लिछमणराम पुत्र हनुमानाराम, उम्र—48साल, 3. मंगाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र—40साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—लौरोली खुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पदमाराम पुत्र रतनाराम, जाति—जाट, निवासी—लौरोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थित:—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 10.05.2018

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम लौरोली खुर्द में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 131/185 रकबा 58.05 बीघा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से मोहम्मद अली शेरानी ने वकालतनामा पेश किया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प में पेश हुआ। प्रकरण में, कोर्ट कैम्प में, जाँच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। रिपोर्ट दिनाँक 10.05.2018 रिपॉर्ट कोर्ट कैम्प में पेश की गयी।

कोर्ट कैम्प में पेश रिपोर्ट दिनाँक 10.05.2018 को, प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट के मुताबिक– ग्राम शरहद लौरोली खुर्द के खसरा सं0 131/185 में आवागमन हेतु खसरा सं0 71 में से होकर जाने हेतु नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए ब सी डी की लम्बाई 52 फुट चौड़ाई 16 फुट रकबा 01 बिस्वा है।

भू0अ0 निरीक्षक केराप की दिनांक 10.05.2018 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, भू0अ0 निरीक्षक केराप की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 131/85 वाकै सरहद लोरोली खुर्द में आवागमन हेतु भू0अ0 निरीक्षक केराप की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2018 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी से दर्शित लाईन की भूमि कुल रकबा 01 बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। भू0अ0 निरीक्षक केराप की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उतमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लौरोली कलाँ

निर्णय, आज दिनाँक **10.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उतमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लौरोली कलाँ

Scanned by CamScanner